कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत।

पत्रांक–1926 /5–3 दिनांक, बागपत 23/11 2016.

अल्पकालीन निविदा सूचना

1– महामहिम, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रभागीय वनाधिकारी बागपत, किसी भी राजकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग, एम0डी0ए0 व आर0ई0एस0 आदि) में पंजीकृत ए, बी, सी, डी श्रेणी के पात्र ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ता अथवा सामग्री निर्माता से प्रतिशतता के आधार पर वृक्षारोपण की सुरक्षार्थ बारवेड वायर की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। टैण्डर दिनांक 08.12.2016 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पते (बाघू रोड़ निकट बागपत शुगर मिल बागपत– 250609) पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त टैण्डर उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित अधिकारी द्वारा दिनांक 08.12.2016 को सांय 4.00 बजे खोले जायेंगे। दिनांक 08.12.2016 का अवकाश होने पर निविदायें अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय व स्थान पर खोली जायेंगी। निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। टैण्डरदाता चाहे तो टैण्डर खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। लिफाफे के ऊपर बारबेड वायर हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है। बारबेड वायर की आपूर्ति हेतु एक टैण्डर फार्म क्रय करना होगा।

2–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा (मीट्रिक टन में)	कार्य की अनुमानित लागत लाख में	आपूर्ति स्थल का नाम	अर्नेस्ट मनी की धनराशि	टैण्डर फार्म का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3		4	5	6	7
1	Supply of Galvanised steel Barbed wire for fencing as per I.S.O. 278-1978 of latest amendments Type "A" in size designations 5 as specified in I.S. The Hot Dip zinc coating or line and point wise shall satisfy the requirements as laid down for the light coated wire of I.S.O 4826-1979 or latest amendments.	3.00	2.55	बागपत रेंज कार्यालय	5100.00	(300+ 100) + वैट	आपूर्ति आदेश के दि0 से पन्द्रह दिन के अन्दर

3–निविदा फार्म में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र अलग–अलग हैं, जिसे अलग–अलग बन्द लिफाफों में भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित होना चाहिए। दोनों बन्द लिफाफों को पुनः एक अन्य लिफाफे में बन्द कर टैण्डर दिनांक 08.12.2016 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निविदा प्राप्त हो जानी चाहिए। उपरोक्त दिनांक व समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

4–कार्य को पूर्ण करने की अवधि कॉलम सं0 7 में अंकित है।

5–कॉलम संख्या–3 में दी गयी मात्रा आपूर्ति स्थलवार कम या अधिक हो सकती है। आपूर्ति बजट की उपलब्धता एवं कार्य की स्वीकृति से आच्छादित होगी।

6–निविदा प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत के कार्यालय में प्रधान लिपिक से निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 24.11.2016 से दि0 07.12.2016 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक तथा दिनांक 08.12.2016 के दोपहर 1.00 बजे तक नगद अथवा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो " **प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ**" के पक्ष में देय हो जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निविदादाता अन्य आवश्यक सूचनायें प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

7–दिनांक 08.12.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

8–समस्त कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करना होगा। अन्यथा स्वीकृत निविदादाता को विलम्ब शुल्क अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा।

9–निर्धारित अर्नेस्ट मनी की धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, टैण्डर के साथ संलग्न होनी चाहिए।

10–अधोहस्ताक्षरी को यदि यह विश्वास हो जाये कि स्वीकृत टैण्डर दाता कार्य समय से सम्पन्न करने या कार्य अनुमान से निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कर रहा है तो स्वीकृत टैण्डर दाता की जमानत जब्त कर कार्य किसी अन्य एजेंसी/द्वितीय न्यूनतम टैण्डर दाता अथवा विभागीय रूप से कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

11–अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

12–स्वीकृत टैण्डर दाता को नियमानुसार बिक्रीकर, स्टाम्प डयूटी व आयकर आदि जो भी कर कार्य अवधि के समय लागू होंगे, जमा करना होगा।

13–किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, मेरठ वृत्त मेरठ का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

14–टैण्डरदाता को किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का टैण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कार्यादेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

15–कोई भी निविदादाता कार्यदायी प्रभाग–वृत्त में जहां उनका संबंधित अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट संबंधी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उसकी पत्नी) किसी पद पर कार्यरत हो, निविदा डालने के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

16–राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो वन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहा हो, सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक शासन की अनुमति के बिना ठेकेदारी के कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि कार्य अवधि में ऐसा पाया जाता है तो उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

17–कोई भी निविदादाता जिसका अपराधिक इतिहास हो, को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

18–स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19–निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त सामग्री मूल्य का 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा। अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जमानत की धनराशि में समायोजित किया जा सकता है।

20–निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पश्चात अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें।

21–निविदा की वैधता इसकी प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 90 दिन के लिए होगी। प्राप्त निविदाओं को वापस नहीं किया जायेगा।

22–टैण्डर के साथ किसी भी राजकीय विभाग में वर्ष 2014–15 व 2015–16 में प्रत्येक वर्ष वारवेड बायर आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, व व्यापार कर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं। सामग्री निर्माता द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त सामग्री निर्माण करने का प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं।

23– ठेकेदार/आपूर्तिकर्त्ता होने की दशा में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र व हैसियत प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी आवयक है।

23/11/16.

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग, बागपत।

संख्या 5557 /5–3 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर प्रमुख वन संरक्षक,आई0टी0,अरण्य सदन, सैक्टर 19 इन्द्रिरा नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि टैण्डर नोटिस को विभागीय वेबसाईट पर लोड करने का कष्ट करें।
3– मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
4– मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ।
4– मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, मेरठ।
5– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
6– जिलाधिकारी, बागपत ।
7– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ वृत्त मेरठ।
8– लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड– बागपत तथा प्रान्तीय खण्ड बागपत ।
9– बागपत विकास प्राधिकरण, बागपत।
10– जिला सूचना अधिकारी, बागपत।
11– उप प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ व बागपत।
12– समस्त वन क्षेत्राधिकारी, बागपत वन प्रभाग को 15–15 प्रतियों में व्यापक प्रचारार्थ।
13– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बागपत खण्ड बागपत ।
14– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बागपत।
15– प्रभारी, एन0आई0सी0, बागपत को राजकीय वैबसाईट पर डालने हेतु।
16– नोटिस बोर्ड।

23/11/16

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग, बागपत।